न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 28/2016

बउनवान

जानकीलाल आयु 38 साल पुत्र श्री भवानीशकर दत्तक पुत्र बृजमोहन
जाति–मीणा निवासी, ढीबरी(कालीसिन्ध) तहसील–पीपल्दा जिला–कोटा(राज0)
(अपीलांट)

बनाम

1–इन्द्रबाई पुत्री बृजमोहन पत्नी गोविन्द प्रसाद जाति–मीणा निवासी–जालिमपुरा तहसील–दीगोद जिला–कोटा(राज0)
2– सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल (रेस्पोंडेंट्स)

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 01 दिनांक 20.12.1990 ग्राम पटपडा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री सत्येन्द्र जमोदिया, अभिभाषक (रेस्पो. कम–1)

निर्णय दिनांक– 27.01.2021

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 01 दिनांक 20.12.1990 वाके ग्राम पटपडा से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट ग्राम ढाबरी तह. पीपल्दा का स्थायी निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.12.1990 को मृतक बृजमेाहन पुत्र रामगोपाल का फौती इन्तकाल खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि तहसील मॉगरोल में ग्राम पटपडा इन्तकाल नं0 1 बेजनाथ रामगोपाल पिसरान नाथू, भैरू पुत्र छपना हिस्सा बराबर जाति–मीणा सा. ढीबरी तह. पीपल्दाकला व भैरूलाल पुत्र छपना हिस्सा 1/3, बेजनाथ, रामगोपाल पिता नाथू हिस्सा 2/3 जाति–मीणा साकिन ढीबरी के [illegible] हो रहा है जिसमें खातेदार बेजनाथ की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी आराजी ज[illegible]पडा तह. मॉगरोल व ग्राम जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा की उसके भाई रामगोपाल के पुत्र बृजमोहन भवानीशंकर व दुर्गाशंकर के खाते दर्ज की गई थी। बृजमोहन की मृत्यु हो चुका है तथा उसके कोई सुलभी पुत्र नहीं था एकमात्र पुत्री इन्द्राबाई थी। उसकी मृत्यु के बाद ग्राम जलोदा खातियान तह. पीपल्दा की आराजी इन्तकाल नं0 89 दिनांक 21.11.1990 खोला गया है जिसमें इन्द्राबाई पुत्री व अपीलांट को पुत्र माना गया है। परन्तु नायब तहसीलदार मॉगरोल द्वारा इन्तकाल नं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

खोलते समय पटवारी की रिपोर्ट को नजरअन्दाज करते हुये इन्तकाल खोला है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2— इन्तकाल नं0 1 दिनांक 20.12.1990 में स्पष्ट रिपोर्ट थी कि बृजमोहन की पुत्री इन्द्राबाई व गोदपुत्र जानकीलाल है, उसके बावजूद बिना कोई कारण लिखे इन्द्राबाई रेस्पों. क्रम—1 के नाम इन्तकाल तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक बृजमोहन की जलोदा खातियान तह. पीपल्दा में स्थित आराजी में स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत के प्रमाणपत्र के आधार पर जानकीलाल को गोदपुत्र मानकर इन्तकाल तस्दीक किया गया है तथा ग्राम पटपडा में भी पटवारी हल्का द्वारा वारिसान जॉच में अपीलांट को गोदपुत्र माना गया था जिसका नोट भी पटवारी हल्का ने अंकित किया हुआ है फिर भी बिना किसी उचित कारण अपीलांट का नाम इन्तकाल में तस्दीक न कर, कानूनीं त्रुटि की है। इसलिये उक्त इन्तकाल स्वतः हीं निरस्तनीय है। अपीलांट मृतक बृजमोहन की मृत्यु से हीं आराजी काश्त है और ओपन एण्ड होस्टाइल रूप से आराजी काश्त कर रहा है। परन्तु माह जुलाई 2016 में रेस्पो. क्रम—1 इन्द्रबाई ने उसके कब्जे काश्त को नकारते हुये उसे आराजी पर कब्जा छोडने की हिदायत दी तथा कहा कि इस आराजी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह मेरे पिताजी के हिस्से की आराजी है। जिसपर अपीलांट ने तहसील मॉगरोल से नकल निकलवायी। तब उसे ज्ञात हुआ कि इन्तकाल खोलते समय उसका नाम सजरे में तो अंकित नहीं है। परन्तु खाते में दर्ज नहीं है। उक्त इन्तकाल की जानकारी नकल दिनांक 13.10.2016 को प्राप्त होने से अपील अवधि मध्य पेश की है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ना. तहसीलदार मॉगरोल का इन्तकाल नं0 1 दिनांक 20.12.1990 निरस्त फरमाया जावे।

3— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पों. क्रम—1 के अभिभाषक उपस्थित आने व मूल अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मृतक परिवारिक सजरा अनुसार तीन भाई बृजमोहन, भवानीशंकर व दुर्गाशंकर है जिनके ग्राम पटवडा तह. मॉगरोल व ग्राम जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला—कोटा में पृथक—पृथक खाते में सहखातेदारी की आराजी अवस्थित है। उक्त अपील इन्तकाल नं0 1 दिनांक 20.12.90 ग्राम पटपडा के विरूद्व पेश की गयी है। जो अधीनस्थ न्यायालय ना. तहसीलदार मॉगरोल द्वारा मृतक बृजमोहन की मृत्यु पर फौती इन्तकाल खोला गया है। उक्त इन्तकाल पूर्णतया [illegible] कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट मृतक बृजमोहन के सगे भाई [illegible] है जिसे बृजमोहन जी ने अपने जीवनकाल में उनके कोई पुत्र नहीं होने से बचपन से गोद ले रखा है। इसके ग्राम पटपडा व ग्राम जलोदा खातियान में आराजी स्थित है। जिसमें से बृजमोहन जी मृत्यु होने पर ग्राम जलोदा खातियान तह. पीपल्दा जिला—कोटा की आराजी गोदपुत्र के आधार पर अपीलांट व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पों0 क्रम–1 के नाम दर्ज की गयी है। किन्तु ग्राम पटपडा में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं कर, पुत्री इन्द्राबाई का नाम दर्ज किया गया है।

5– उक्त तस्दीकी इन्तकाल कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट पिता बृजमोहन जी के समय से हीं आपसी बटवारें अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु अब रेस्पोडेट, अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से उसे बेदखल करने को तत्पर है। जबकि अपीलांट व रेस्पो. अपनी अपनी बटवारें अनुसार काबिज काश्त है। हल्का पटवारी ने तत्समय इन्तकाल खोलते समय अपनी रिपोर्ट में अपीलांट को गोदपुत्र माना गया है तथा उसके नाम इन्तकाल दर्ज करने की सिफारिश की गयी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पो. इन्द्राबाई को हीं वारिस मानकर फौती इन्तकाल तस्दीक कर दिया है। जबकि ग्राम जलोदा खातियान तह. पीपल्दा की आराजी में उसका नाम दर्ज है। दोनो इन्तकाल मृतक बृजमोहन मीना की मृत्यु पर खोले गये है। इस इन्तकाल की जानकारी अपीलांट को रेस्पो. ने काबिज काश्त में मखलअन्दाजी करने पर हुई। तब रेकार्ड की स्थिति देखने पर ज्ञात हुआ कि उसका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, अपील अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इन्तकाल नं0 01 दिनांक 20.12.1990 ग्राम पटपडा निरस्त किया जाकर, अपीलांट का नाम इन्तकाल में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट क्रम–1 अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तत्समय मृतक बृजमोहन का विरासतन पुत्री रेस्पों. इन्द्राबाई के नाम खोला गया है। बृजमोहन जी ने अपने जीवनकाल में अपीलांट को गोद नहीं लिया है। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया था। अपीलांट ग्राम जलोदा खातियान तह. पीपल्दा की आराजी के आधार पर ग्राम पटपडा की आराजी में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है। यह दोनो अलग–अलग जिले की आराजी है। अपीलांट ने उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील निराकार तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

7– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम–1 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक की मुख्य तर्क है कि अपीलांट मृतक बृजमोहन का गोदपुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पटपडा तह. मॉगरोल का फौती इन्तकाल नं0 1 दिनांक 20.12.90 को रेस्पो. क्रम–1 के पक्ष में खोला है। अपीलांट गोदपुत्र है इसलिये उसका नाम हीं इन्तकाल में दर्ज होना चाहिये। क्योकि समान रूप से उसका जलोदा खातियान तह. पीपल्दा जिला–कोटा में भी आराजी स्थित है जिसमें अपीलांट [illegible] को गोदपुत्र मानकर वर्णित आराजी का इन्तकाल नं. 89 से वर्णित आराजी खाते दर्ज की गयी है। इसलिये ग्राम पटपडा के इन्तकाल संख्या–01 में भी उसका नाम दर्ज किया जावे। इसी प्रकार रेस्पो. क्रम–1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक का कथन है कि इन्तकाल विधिवत सहीं खुला है। अपीलांट गोदपुत्र नहीं है। दोनो इन्तकाल अलग–अलग जिले की आराजी से संबंधित है।

8– इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा मृतक बृजमोहन मीना का फौती इन्तकाल नं0 1 दिनांक 20.12.1990 ग्राम पटपडा तस्दीक किया गया है जिसपर हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि मृतक बृजमोहन ने भाई भवानीशंकर के पुत्र जानकीलाल को गोद रखा है तथा इन्तकाल तस्दीक करने की सिफारिश की गयी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण बताये मात्र पुत्री इन्द्राबाई के नाम फौती इन्तकाल नम्बर 01 तस्दीक किया है। जबकि मृतक खातेदार बृजमोहन के ग्राम जलोदा खातियान तहसील–पीपल्दा में भी सयुक्त खातेदारी में पृथक–पृथक आराजी स्थित है जिसका फौती इन्तकाल नं0 89 दिनांक 21.11.1990 को खोला गया है जिसमें जानकीलाल अपीलांट को गोदपुत्र माना है। इस प्रकार एक इन्तकाल में अपीलांट को गोदपुत्र माना है तथा ग्राम पटपडा के फौती इन्तकाल में अपीलांट का गोदपुत्र वारिस के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। उक्त इन्तकाल मात्र एक पुत्री इन्द्राबाई के नाम खोला गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 01 दिनांक 20.12.1990 ग्राम पटपडा को विधिक रूप से सहीं नहीं माना जा सकता।

9– परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 01 दिनांक 20.12.1990 ग्राम पटपड़ा तहसील–मॉगरोल निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मॉगरोल को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट गोदपुत्र है या नहीं। गोदपुत्र संबंधी विधिक जॉच एवं ग्राम जलोदा खातियान तहसील–पीपल्दा जिला–कोटा के तस्दीकी इन्तकाल संख्या 89 में वर्णित इन्द्रबाई एवं बृजमोहन दोनो पक्ष के दर्ज इन्तकाल का विवरण एवं आधार मॅगवाकर तथा आवश्यक उचित दस्तावेजात् को रेकार्ड पर लेकर, दोनो पक्षों की विधिवत सुनवाई कर, पुनः वैधानिक वारिसान् के नाम सहीं इन्तकाल दर्ज किया जावे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल के समक्ष दिनांक 15.03.2021 को उपस्थित होंवे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां